



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP01696533021113V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP01696533021113V
Certificate Issued Date	: 30-Aug-2023 01:37 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14291504/ AONLA/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1429150498983433367274V
Purchased by	: LORD BUDDHA CHARITABLE TRUST
Description of Document	: Article 19 Certificate or other Document
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: LORD BUDDHA CHARITABLE TRUST
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: LORD BUDDHA CHARITABLE TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

₹ 100

3700210010007100

सत्यमेव जयते



Please verify the type built with this code

70A

Regulatory Alert

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at [www.stockstamp.gov.in](http://www.stockstamp.gov.in) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid. It is the onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की  
सोसाइटी ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी  
शपथ-पत्र का प्रारूप

हम Munshi Lal Maurya एवं Siddharth Singh क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव LORD BUDDHA  
CHARITABLE TRUST, Sector 3/42, Greater Green Park, Bareilly शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं

1. यह कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा Gautam Buddh College of Pharmacy, Vill. Firozpur Ballia, Teh-  
Aonla, Distt. Bareilly (Uttar Pradesh) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24  
से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम Vill. Firozpur Ballia, Teh- Aonia, Distt. Bareilly में गाटा संख्या 250(N), 250 (G), 229, 230(K), 230(KH), एवं 231(K) रकबा क्रमशः 0.073, 0.110, 0.130, 0.170, 0.075 एवं 0.265 हैक्टेयर (कुल रकबा 0.823 हैक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 250(N), 250 (G), 229, 230(K), 230(KH), एवं 231(K) एवं रकबा क्रमशः 0.073, 0.110, 0.130, 0.170, 0.075 एवं 0.265 हैक्टेयर (कुल रकबा 0.823 हैक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12/04/2021 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रुत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद

की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

Attested that Shri  
Siddharth Singh  
was furnished by Shri  
Bareilly after sworn the sentence of the  
affidavit and confirmed its content.  
30/8/2013